प्रेषक

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1379/21–एम0बी0 (2023–24) दिनांक, 05 दिसम्बर, 2024

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–342/2024, राजेश व्यास बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 342/2024 राजेश व्यास बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी में किन्गोडा हर्बल पोधो का अवैज्ञानिक तरीकों से विदोहन किये जाने, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने व नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक और निषेधात्मक कार्यवाही करने हेतु संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी में किन्गोडा हर्बल पोधो का अवैज्ञानिक तरीकों से विदोहन किये जाने, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने व नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक और निषेधात्मक कार्यवाही करने हेतु संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Ld. R.G.
12-12-2024
Com.(J)

OA 342/2024
Pl put-up

13/12/2024
Mr Bharat 28

953/24 JR
13/12/24

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi
8230 12 DEC 2024
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
डायरी सं. / Diary No.
हस्ताक्षर / Signature

ALC
AZM 03.12.24

जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–342/2024 राजेश व्यास बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कमेटी की जॉच रिपोर्ट।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–342/2024 में दिनांक 01.07.2024 में दिये गये आदेशानुसार, आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के परीक्षण हेतु फील्ड निरीक्षण के लिये संयुक्त समिति का निर्माण किया गया था, उक्त समिति जिलाधिकारी उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून (वन अनुसंधान संस्थान देहरादून) के प्रतिनिधि से मिलकर बनायी गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 18, 19, 20 अक्टूबर, 2024 को उत्तरकाशी जिले के विभिन्न स्थलों, जिन स्थानों से किनगोड़ा का विदोहन किया गया था, उनका निरीक्षण किया एवं किनगोड़ के विदोहन से सम्बन्धित, जनपद के अन्तर्गत अपनायी जा रही प्रक्रिया व कृषकों से चर्चा की। जिसके आधार पर रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैः–

किनगोड जैसी जड़ी बूटियां के पंजीकरण, विदोहन एवं निकासी की विधिक प्रक्रिया :–

उत्तरांचल शासन के वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के पत्र संख्या– 633/XVI/05/(89)/05, देहरादून, दिनांक 10 मई 2005 व पत्र संख्या–236/व.ग्रा.वि./उद्यान (जड़ी–बूटी) 2006, देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के तहत जड़ी–बूटी के पंजीकरण, विदोहन व निकासी की सम्पूर्ण प्रक्रिया दी गयी है **(संलग्नक–1)।** उक्त शासनादेशों के आधार पर जनपद के अन्तर्गत किनगोड़ के विदोहन सम्बन्धी अपनायी जा रही प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः–

कोई कृषक जो अपनी कृषि भूमि पर उगी किंनगोड प्रजाति का विदोहन करना चाहता है वह अपना आवेदन राजस्व विभाग में देता है तथा राजस्व विभाग आवेदक की भूमि का सत्यापन करते हुए उसकी भूमि पर उगी किंनग़ोड़ की झाड़ियों के संबंध में सूचना प्रदान करता है राजस्व विभाग से भूमि का सत्यापन हो जाने के पश्चात वह आवेदन राजस्व विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने स्तर से प्रकरण की जांच करायी जाती है। प्रकरण के संबंध में वन विभाग, जड़ी–बूटी शोध संस्थान (HRDI) एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भूमि की जांच करते हुए उसमें उगी किंनगोड़ की झाड़ियों की गणना की जाती है एवं उक्त गणना के आधार पर वन विभाग द्वारा यह सूचना HRDI को प्रेषित कर दी जाती है। HRDI द्वारा संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर कृषक का पंजीकरण किया जाता है जिसमें HRDI द्वारा अपने मानकों के आधार पर एक किंनगोड़ झाड़ी से उत्पादित होने वाली संभावित मात्रा के आधार पर उसकी भूमि पर उपस्थित समस्त किंनगोड़ झाड़ियों से होने वाले संभावित उत्पादन को भी दर्शाया जाता है। HRDI द्वारा किया गया यह पंजीकरण, पंजीकरण की तिथि से चार वर्ष के लिए मान्य होता है।

उक्त पंजीकरण के आधार पर कृषक द्वारा अपनी कृषि भूमि से किंनगोड़ का विदोहन कार्य किया जाता है। विदोहन के पश्चात वन प्रभाग कार्यालय में कृषक द्वारा निकासी के लिए आवेदन किया जाता है। वन विभाग,

राजस्व विभाग व HRDI के प्रतिनिधियों द्वारा विदोहित की गयी जड़ों के तुलान का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। तुलान की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर HRDI द्वारा निकासी रवन्ना जारी किया जाता है।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्र सं0–1704/22–1(CWLW) दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 **(संलग्नक–2)** में किनगोड़ प्रजाति को संकटग्रस्त माना है तथा वन क्षेत्र से उसके विदोहन पर प्रतिबन्ध लगाया है, परन्तु कृषि भूमि पर उपस्थित होने पर उसके विदोहन पर कोई रोक नही लगायी है।

फील्ड सर्वे :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार बनायी गयी संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 19, 20 अक्टूबर, 2024 को उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जिनमें किनगोड़ का विदोहन किया गया था, उनका निरीक्षण किया गया। फील्ड सर्वे के दौरान चिन्यालीसौड़ विकासखण्ड के धारकोट व बदाली गांव बड़कोट विकासखण्ड के पौन्टी गांव व पुरोला विकासखण्ड के सुनाली गांव का निरीक्षण किया गया व आस–पास के कृषकों से चर्चा की गयी, जिसके आधार पर मुख्य बिन्दु निम्न हैः–

1. Berberis प्रजातियां जो कि सामान्यतः भारतीय Barberry या किनगोड़ा या दारूहरिद्रा के नाम से जानी जाती है, का उपयोग इनमें पाये जाने वाले एल्कलॉइड पदार्थ मुख्यतः Berberine के कारण औषधियों में बड़ी मात्रा में होता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से 3000 मी0 की ऊचाई तक पाये जाने वाला एक शाकीय पौधा है, जिसकी उत्तराखण्ड में 32 प्रजातियां पायी जाती है।
2. पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, जिसमें प्रत्येक खेत की सीमा को क्षेत्रीय पत्थरों की सहायता से रोका जाता है। सामान्यतः वे खेत जिनकों कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है, उन खेतों की सीमा पर किनगोड़ की झाडियां उगी हुई पायी गयी तथा वे खेत जिनका उपयोग कृषि कार्य में नही किया जा रहा है, उन खेतों की सीमाओं के साथ–साथ खेतों में भी किनगोड़ की झाड़ियां उगी हुई पायी गयी।
3. कृषकों द्वारा खेत की मेढ़ों पर उगे किनगोड़ को ऊपर से काटकर हटाने की परम्परा रही है, चूँकि किनगोड़ की शाखायें कांटेदार होने के कारण कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न करती है। खेत की मेढ़ पर उगे किनगोड़ की संख्या कम होने के कारण उनको व्यवसायिक उपयोग में नही लाया जा सकता था, परन्तु कृषकों के ऐसे खेत जिन्हें कृषि कार्य में उपयोग नही किया जा रहा है, उन खेतों में किनगोड़ की संख्या पर्याप्त होने के कारण कृषकों द्वारा विगत कुछ वर्षो में अपने खेतों से किनगोड़ का विदोहन किया गया।
4. वर्तमान में जनपद के अन्तर्गत किसी क्षेत्र में भी किनगोड़ का विदोहन कार्य किये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नही हुई।
5. जिन खेतों से किनगोड़ का विदोहन किया गया था, उन खेतों में भू–क्षरण सम्बन्धी कोई भी तथ्य प्रदर्शित नही हुआ। वर्तमान में विदोहित किये गये खेतों को देखकर यह बता पाना सम्भव नही है कि वास्तव में इन खेतों से किनगोड़ का विदोहन किया गया था।
6. विदोहित किये खेतों के समीप किनगोड़ के कुछ नये पौधे दिखायी दिये एवं कुछ स्थापित पौधे भी दिखायी दिये, जिनके सम्बन्ध में जब कृषकों से चर्चा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय बाद स्वतः ही विदोहित किये गये खेतों से पौधे निकलने प्रारम्भ हो गये है तथा उनके द्वारा समस्त पौधों का विदोहन विदोहित क्षेत्र से नही किया गया है।

7. जिन खेतों से किनगोड़ को विदोहन किया गया था, उन खेतों के समीपस्थ आरक्षित वन क्षेत्र मुख्यतः चीड़ क्षेत्र होने के कारण वन क्षेत्रों से किनगोड़ की विदोहन की सम्भावना नही पायी गयी, चूँकि चीड़ वनों में किनगोड़ की उपस्थिति नगण्य होती है।
8. किनगोड़ की पौधे के जड़ का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जाता हैं जिसे प्राप्त करने के लिये किनगोड़ को खोदना पड़ता है। खोदने के कारण भू–क्षरण होने की प्रबल सम्भावना है, परन्तु कृषक अपने खेत की सुरक्षा के लिये विदोहन के तुरन्त बाद मिट्टी को समतल कर देता है जिससे भू–क्षरण की सम्भावना न्यून हो जाती है। परन्तु एक ही खेत से अधिक मात्रा में जड़ खुदान करने से भू–क्षरण को रोक पाना सम्भव नही है।
9. जांच के दौरान किनगोड़ प्रजाति के विदोहन से किसी अन्य पादप प्रजाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नही पाये गये।
10. फील्ड सर्वे के दौरान निजि भूमि से किनगोड़ विदोहन सम्बन्धी शासनादेशों के उल्लंघन के कोई प्रमाण नही पाये गये।

सुझाव– किनगोड़ के विदोहन से भू–क्षरण होने की सम्भावना तो है, परन्तु खेत में किनगोड़ के उपस्थित रहते हुये कृषि कार्य करना सम्भव नही हो पायेगा, उस स्थिति में भू–क्षरण पर नियंत्रण के लिये एक कृषक को अपनी निजि भूमि से किनगोड़ को हटाने के लिये प्रतिबन्धित करना उचित नही है, परन्तु खेत से किनगोड़ को हटाने के लिये निम्न सुरक्षात्मक उपाय किये जा सकते है।

1. खेत से किनगोड़ को विदोहित करने के लिये S.O.P का निर्धारण किया जाय, जिसे बनाने के लिये मृदा क्षरण विशेषज्ञ की सलाह ली जाय। S.O.P में यह प्रतिबन्धित किया जाय कि खेत की मेढ़ से किनगोड़ की जड़ को निकाला नही जायेगा, केवल ऊपर से ही मेढ़ वाले पौधों को काटा जायेगा जो कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो तथा खेत से विदोहन के समय गढ्डें खोदने की गहराई को भी S.O.P में निर्धारित किया जाये।
2. विदोहित किये गये पौधों की भरपाई के लिये कृषकों को नई पौध लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय तथा उक्त हेतु स्थानीय स्तर पर नर्सरी की स्थापना की जाय।
3. विदोहन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये विदोहन के दौरान खेतों के निरीक्षण के लिये किसी एक विभाग को नामित किया जाय जिससे अनुमति से इतर विदोहन की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

Dr. B. P. Tamta
Scientist-F
NTFP Discipline, S&FM Division
Forest Research Institute
P.O.New Forest, Dehradun-248006

राजेन्द्र कठैत
सहा० वन संरक्षक

Dr. B. P.
Scientist-F
NTFP Discipline, S&
Forest Researc
P.O.New Forest

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

फील्ड सर्वे के दौरान उपस्थित रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	पदनाम
1	श्री बी0पी0 टम्टा	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	वैज्ञानिक
2	श्री राकेश कण्डारी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	समन्वयक
3	श्री अरविन्द भण्डारी	जड़ी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर	वैज्ञानिक
4	श्री मयंक कुमार	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	सहायक वन संरक्षक
5	श्री शेखर राणा	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	वन क्षेत्राधिकारी
6	राजस्व विभाग के स्थानीय कर्मचारी		
7	वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी		

फील्ड सर्वे के दौरान एकत्र किये गये फोटोग्राफ्स

Figure 1: Berberis spp. - Dharkot, Chiniyalisaur, Uttarkashi

Figure 2: Berberis spp. along farmland edges - Badli, Chiniyalisaur, Uttarkashi

Figure 3: Berberis spp. Badli, Chiniyalisaur, Uttarkashi

Figure 4: Interaction with farmers - Badli, Chiniyalisaur, Uttarkashi

Figure 5: Berberis spp. - Pounti, Barkot, Uttarkashi

Figure 6: Interaction with farmers - Pounti, Barkot, Uttarkashi

Figure 7: Interaction with farmers - Sunali, Purola, Uttarkashi

Figure 8: Berberis spp. - Sunali, Purola, Uttarkashi

परिशिष्ट–9.6

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
पत्र संख्या 633/XV/05/5(89)/05, देहरादून दिनांक 10 मई 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में औषधीय एवं सगन्ध पौधों के समग्र विकास एवं नियोजन के उद्देश्य से जड़ी बूटी के कृषिकरण एवं नर्सरी कार्य में लगे कृषकों की पंजीकरण व्यवस्था तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या 834/9080/2001,देहरादून, मई 15, 2001 में कतिपय संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है।

क. औषधीय एवं सगन्ध पौधों के कृषिकरण/नर्सरी कार्य हेतु कृषक पंजीकरण प्रक्रिया–

1– पंजीकरण का उद्देश्य कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा अनुमन्य कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रसंस्करण व्यवस्था का लाभ देना, उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी को सुगम बनाना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण/डाटा बेस तैयार करना है।

2– उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जड़ी–बूटी का कृषिकरण करने वाले कृषकों के पंजीकरण हेतु जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) को अधिकृत किया जाता है, जो उत्तरांचल शासन के अधीन स्वायत्तशासी एवं नोडल संस्था है। संस्थान द्वारा यह कार्य राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम व सहयोग से निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा।

3– कुछ प्रजातियों के कृषिकरण का पंजीकरण भारतीय वन्य जीव अधिनियम, 1972 के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल या शासन द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4– संस्थान की सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था के रूप में जनपदीय भेषज संघ, उत्तरांचल वन विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, वन विभाग, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, आईसेक, शोध संस्थायें, विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्थायें एवं स्वयं सेवी संस्थायें जो जड़ी–बूटी के कृषिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, कृषक पंजीकरण कार्य में सहयोग प्रदान करेंगी। पंजीकरण कार्य आवश्यकतानुसार बिना सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था के सीधे जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा भी किया जा सकता है।

5– जो कृषक जड़ी–बूटी का कृषिकरण करना चाहते है, वे अपने समीपस्थ उपरोक्त किसी भी संस्था से या सीधे संस्थान से जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा कृषिकरण प्रारम्भ करने के पश्चात तीन माह के अन्दर किसी उनके माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। विशेष परिस्थितियों में उन कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराया जा सकता है जो विगत वर्षों से कृषिकरण कर रहे है तथा अभी तक पंजीकरण नहीं करा सके है।

6– सहयोगी/प्रतिनिधि संस्थाओं या संस्थान द्वारा कृषकों से आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सर्वेक्षण/जांच की जायेगी एवं तत्पश्चात ही पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। कृषिकरण की आड़ में यदि वन क्षेत्र से अवैध दोहन या निकासी कराई जाती है तो सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था या संस्थान को भी उत्तरदायी माना जायेगा।

7– सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था पंजीकृत कृषक को कृषिकरण के दौरान उपज प्राप्त होने तक वांछित सहायता प्रदान करेगी तथा कृषिकरण का अनुश्रवण एवं प्राप्त होने वाली उपज का आकलन करेंगी।

8–पंजीकरण का निर्धारित प्रारूप जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर द्वारा मुद्रित कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार सहयोगी/प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– पंजीकरण निर्धारित प्रारूप पर 5 प्रतियों में संस्थान द्वारा किया जायेगा। एवं कृषकों को जनपद आधार पर पंजीकरण नम्बर आवंटित किया जायेगा तथा उसकी एक–एक प्रति कृषक, सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी/मास्टर ट्रेनर को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यालय प्रति संस्थान द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी। यह प्रभागीय वनाधिकारी का दायित्व होगा कि वे रेंज स्तर पर पंजीकरण की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

10– पंजीकरण उन्हीं कृषकों का किया जायेगा जिनके नाम विधिक भूमि उपलब्ध है।

11– पंजीकरण पांच वर्षों के लिए किया जायेगा एवं तत्पश्चात पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा सकता है।

12-पंजीकृत कृषकों के लिए सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था एवं संस्थान द्वारा गोष्ठी/प्रशिक्षण का समय-समय पर आयोजन किया जायेगा जिसमें जड़ी-बूटी के कृषिकरण की तकनीक एवं प्रसंस्करण के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी।

13- संस्थान द्वारा प्रशिक्षित काश्तकारों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा सहयोगी/प्रतिनिधि संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

14-कृषक पंजीकरण का प्रारूप संलग्न है।

ख- नाप भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में-

1- कृषकों की नाप भूमि पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं जिनमें से कुछ वन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं जैसे किल्मोड़, तेजपात, च्यूरा आदि।

2- नाप भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों हेतु भी संस्थान द्वारा केवल जनपदीय भेषज संघ उत्तरांचल वन विकास निगम, वन विभाग एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम के माध्यम से पंजीकरण विदोहन से कम से कम छः माह पूर्व आवेदनानुसार किया जायेगा। किन्तु किल्मोड़ जैसी बहुवर्षीय प्रजातियां जो विदोहन के पश्चात नाप भूमि से समाप्त हो जाती हैं का विदोहन वन विभाग द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

ग. कृषिकरण के अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया–

1- भौतिक सत्यापन का उद्देश्य कृषिकरण की प्रगति का आकलन/सूचना प्राप्त करना, कृषकों को समय-समय पर तकनीकी जानकारी प्रदान करना, निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाना एवं कृषिकरण की आड़ में वन क्षेत्रों से अवैध विदोहन नियंत्रित करना है।

2- ऐसी प्रजातियां जो 6 माह में तैयार हो जाती हैं अथवा वार्षिक फसलें हैं, उनका सत्यापन कृषिकरण प्रारम्भ करने के 1 माह के अन्दर और पुनः फसल कटाई के 1 माह पूर्व किया जाना अनिवार्य है।

3- द्विवार्षिक प्रजातियों का सत्यापन प्रत्येक 6 माह में किया जायेगा।

4- 3 से 5 वर्ष के बीच तैयार होने वाली प्रजातियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

5-ऐसी प्रजातियां जो वन क्षेत्रों में या उत्तरांचल में नहीं पाई जाती हैं के कृषिकरण का सत्यापन केवल सम्बन्धित सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था एवं संस्थान द्वारा किया जायेगा तथा वन विभाग द्वारा सत्यापन किया जाना आवश्यक नहीं होगा किन्तु वन विभाग यदि चाहे तो निरीक्षण/सत्यापन कर सकता है।

6- ऐसी प्रजातियां जो वन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं का सत्यापन सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था के साथ-साथ वन विभाग द्वारा भी किया जाना आवश्यक होगा तथा पौध —उत्पादन के सम्बन्ध में मतभेद की स्थिति में दोनों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा जिसकी तिथि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। यदि किसी कारणवश वन विभाग द्वारा कृषिकरण के उत्पादन का आंकलन एवं सत्यापन सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था द्वारा सूचित संभावित कटाई के एक माह पूर्व नहीं किया जाता है तो सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था द्वारा किये गये सत्यापन को मानने हेतु वन विभाग बाध्य होगा।

7- भौतिक सत्यापन के रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था या संस्थान के अधिकारी/वैज्ञानिक द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं निदेशक जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

संस्थान द्वारा भौतिक सत्यापन के रिपोर्टों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन का प्रारूप संलग्न है।

कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी की प्रक्रिया–

कृषक जड़ी बूटी की निकासी हेतु वन विभाग को स्वयं आवेदन कर सकता है या किसी भी क्रेता को अधिकृत कर सकता है।

वन विभाग द्वारा निकासी हेतु रवन्ना वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही जारी किया जायेगा।

शासनादेश 761/[illegible]/2004 दिनांक 15.12.2004 द्वारा वन क्षेत्रों से विदोहन हेतु जड़ी-बूटियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी (प्रतिबंधित प्रजातियां) में 34 जड़ी बूटियों का वन क्षेत्र से विदोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी श्रेणी (छूट प्रजातियां) के अन्तर्गत 21 प्रजातियों को किसी भी प्रतिबंध से अवमुक्त रखा गया है क्योंकि ये प्रायः वन क्षेत्र से बाहर पाई जाती हैं। तीसरी श्रेणी (विदोहन योग्य प्रजातियां) के अन्तर्गत 29 प्रजातियों को विदोहन हेतु चिन्हित किया गया है।

प्रतिबंधित प्रजातियों के कृषिकरण की स्थिति में उत्पाद की निकासी या तो शासन द्वारा निर्धारित मण्डियों तक दी जायेगी या अनुबंधित कृषिकरण की स्थिति में सम्बन्धित पार्टी के स्थान तक दी जायेगी।

वन क्षेत्रों से विदोहन हेतु अनुमन्य प्रजातियों के कृषिकरण की स्थिति में उत्पाद की निकासी कृषक की इच्छा के अनुसार गन्तव्य स्थान/क्रेता के स्थल तक दी जायेगी।

छूट प्रजातियों एवं उत्तरांचल के वन क्षेत्रों में न पाई जाने वाली प्रजातियों के कृषिकरण की स्थिति में निकासी रवन्ना की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु अगर चाहे तो उसकी निकासी वन विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

7– पंजीकृत कृषक से उसके द्वारा उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी पर वन विभाग द्वारा रायल्टी नहीं ली जायेगी किन्तु कृषक को उक्त बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित श्रेणी 1 व 3 की प्रजातियों के लिए वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित दरों पर अभिवहन शुल्क देना होगा तथा नियमानुसार व्यापार कर एवं अन्य देय कर का भुगतान करना होगा।

8– निकली अथवा हरड/बेहड़ा व आंवला तथा किसी भी वृक्ष की छाल की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 (4) ए के तहत वन विभाग से निकासी लेनी होगी।

9– प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर जड़ी बूटी के निकासी रवन्नों का पूर्ण लेखा जोखा रखा जायेगा तथा उसका मासिक विवरण जड़ी बूटी के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्नक–

1–जड़ी बूटी कृषिकरण हेतु कृषक पंजीकरण प्रारूप।

2– जड़ी बूटी कृषिकरण के भौतिक सत्यापन का प्रारूप।

विभा पुरी दास
प्रमुख वन सचिव एवं
आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास।

संख्या–633/XVI/05/5(89)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –

1– सचिव, वन उत्तरांचल शासन।
2– सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन।
3– अपर सचिव, उद्यान, उत्तरांचल शासन।
4– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल देहरादून।
5– प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम, उत्तरांचल।
6– अपर प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल,देहरादून।
7– निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)।
8– निबन्धक, सहकारिता, उत्तरांचल।
9– प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, उत्तरांचल।
10– व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल।

आज्ञा से
(एस0पी0सुबुद्धि)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन

संख्या : 236/व.ग्रा.वि./उद्यान (जड़ी-बूटी)/2006

देहरादून, दिनांक : 13 नवम्बर, 2006

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तरांचल में औषधीय एवं सगन्ध पौधों के कृषिकरण के विकास एवं नियोजन के उद्देश्य से जड़ी-बूटी के कृषिकरण में लगे कृषकों के पंजीकरण एवं कृषिकरण से उत्पादित जड़ी-बूटी की निकासी प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 633/XVI/05/ 5(89)05, देहरादून, दिनांक 10 मई 2005 में संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है :-

1. कृषिकरण द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटी एवं सगन्ध उत्पाद की निकासी जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा की जायेगी। यह निकासी जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर में पंजीकृत काश्तकारों के द्वारा कृषिकरण के माध्यम से उत्पादित जड़ी-बूटी एवं सगन्ध उत्पाद के सापेक्ष होगी।
2. शासनादेश संख्या-761/व.ग्रा.वि./2004 दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 द्वारा छूट प्रजातियों को चिन्हित किया गया है जिसके एकत्रीकरण एवं परिवहन के लिये किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि कोई कृषक/व्यापारी/संस्था इन प्रजातियों के लिये निकासी की मांग करती है तो निकासी जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा प्रदान की जायेगी।
3. वन क्षेत्रों से संग्रहित जड़ी-बूटी एवं सगन्ध उत्पाद की निकासी एवं निर्यात हेतु निकासी वन विभाग द्वारा पूर्ववत् दी जाती रहेगी। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के पैरा 4(अ) के अनुसार इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वारनिश, छाल, लाख, महुआ के फूल, महुआ के बीज, हरड़, बहेड़ा और आंवला की निकासी सिर्फ वन विभाग द्वारा दी जायेगी भले ही ये वन या उसके बाहर में पायी या से लायी गयी हो। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल के पत्रांक 747/22-1 दिनांक 9.9.2005 द्वारा भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा 17-सी०, 17-डी० एवं 17-ई० के अन्तर्गत कूत प्रजाति के कृषिकरण करने, व्यापार करने एवं भण्डार की घोषणा आदि का पंजीकरण/लाईसेन्स निर्गत करने हेतु निदेशक, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर को अधिकृत किया जा चुका है।
4. निकासी रवन्ना जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा पंजीकृत काश्तकार की मांग पर अग्रिम में जारी किया जायेगा तथा फसल की कटाई के अनुमानित समय से तीन माह के लिये फसल की निकासी दी जायेगी।
5. काश्तकार अपने उपज को उत्तरांचल के अन्दर या राज्य के बाहर कहीं भी ले जा सकता है तथा काश्तकार उत्पाद ले जाने हेतु अपने किसी प्रतिनिधि या क्रेता को अधिकृत कर सकता है।
6. जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा जारी निकासी पत्र में जड़ी-बूटी एवं सगन्ध पौध की प्रजाति व मात्रा वही होगी जो संस्थान द्वारा कृषिकरण हेतु पंजीकृत की गयी हो।

जड़ी-बूटी एवं सगन्ध उत्पाद की जांच जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर/वन विभाग/जिला प्रशासन तथा किसी भी अन्य नामित संस्था के माध्यम से किया जा सकता है।

वन विभाग की प्रथम चेकिंग चौकी में जड़ी-बूटी एवं सगन्ध उत्पाद की निकासी के समय निकासी पत्र में कास्तकार द्वारा उल्लिखित मात्रा के सापेक्ष ले जाये जाने वाले उत्पाद का अंकन कर दिया जायेगा ।

वन विभाग की चौकियों पर उत्पाद के तौल हेतु वन विभाग की मांग पर तौल कांटा की व्यवस्था हेतु (जैसा कि रेलवे गोदाम में होता है) जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। यह व्यवस्था इस प्रकार हो कि 1 किग्रा० से 1 कुन्तल तक की तौल की जा सके।

10. यदि निकासी स्थल एवं गन्तव्य स्थल के बीच वन विभाग की कोई निकासी चौकी नहीं है तो निकासी चौकी पर भरी जाने वाली सूचना निकासी से पूर्व निकासी स्थल पर वन रक्षक या मास्टर ट्रेनर द्वारा भरी जायेगी।

11. जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा जारी निकासी पत्र की प्रतिलिपि वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

12. निकासी पत्र चार प्रतियों में जारी किया जायेगा जिसकी प्रथम प्रति (जो पीले रंग की होगी) कार्यालय प्रति होगी तथा अन्तिम प्रति (जो सफेद रंग की होगी) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। बीच की दो प्रतियां (जो गुलाबी रंग की होंगी) कास्तकार को दी जायेगीं, जिसमें एक प्रति सम्बन्धित निकासी चौकी पर जमा की जायेगी।

13. निकासी अवधि में यदि कास्तकार द्वारा निकासी नहीं की गयी है तो पुराने निकासी पत्र को जमा करने पर संस्थान द्वारा नया निकासी पत्र जारी किया जायेगा एवं पुराने निकासी पत्र के निरस्त किये जाने का उल्लेख नये निकासी पत्र में किया जायेगा।

14. निकासी संलग्न निकासी प्रपत्र में जारी की जायेगी।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार</u>

ह०
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

<u>संख्या : 236/स.ग्रा.वि./उद्यान (जड़ी-बूटी)/2006 तद्दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि :</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन, उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन ।
3. सचिव, उद्यान, उत्तरांचल शासन ।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, उत्तरांचल ।

परिशिष्ट–9.7

Office of Chief Wildlife Warden Uttaranchal, Dehradun

Letter No. 1704/22-1(CWLW) dated 12th December 2004

To

Pr. Secretary and FRDC

Govt. of Uttaranchal

Dehradun.

Subject- Classification of species for commercial harvesting from forests.

Respected Madam,

This is to submit to you that the basic principle for exploitation of any natural resource (specially MAPs) and its sustainable management is that only the increment of the existing growing stock should be removed periodically without causing damage to the natural population or initial capital. The existing natural populations of MAPs are under threat of excessive exploitation due to several reasons such as the emergence of UAFDC as the central agency of trade, the increased demands placed on the natural resource due to the establishment of modern industry and declaration of Uttarancal as a Harbal State, and it becomes expedient to preserve them and use them in a sustainable manner. Accordingly, a classification of MAPs to be collected from the wild is proposed as under.

A. Those species that are critically endangered and/or do not have any Agro-technique and their collection from the wild should cause irreparable damage to the survival of these plants, and their collection should, therefore, not be permissible under any circumstances.

i.	Salam Panja	Dactylorhiza hatagrea
ii.	Riddhi	Habenaria intermedia
iii.	Vriddhi	Habenaria edgeworthii
iv.	Kakoli	Fritillaria roylei
v.	Kshir Kakoli	Lilium polyphyllum
vi.	Jivak	Malaxis museifera
vii.	Rhishbhak	Malaxis cyhndrostachya
viii.	Salam Mishri	Eulophia dabra

B. These species that are highly endangered but have an established agro-technique and their cultivation may be allowed, but collection from the wild shall remain closed for the present time.

i	Jatamansi	*Nardostachys jatamansi*
ii	Karvi	*Gentiana kurroo*
iii.	Satua	*Paris polyphylla*
iv.	Chirayta	*Swertia chirata*
v.	Kingora	*Berberis spp*
vi.	Atis	*Aconitum heterophyllum*
vii.	Meetha	*Aconitum balfourii*
viii.	Kutki	*Picrorrhiza kurroa*
ix.	Genthi	*Dioscorea deltoidea*
x.	Salparni	*Desmodium gangeticum*
xi.	Prsnaparni	*Uraria picta*
xii.	Bach	*Acorus calamus*
xiii.	Giloe	*Tinospora cordifolia*
xiv.	Meda/Maha Meda	*Polygonatum spp.*
xv.	DoluArcha	*Rheum spp.*
xvi.	Sarpagandha	*Rauvolfia serpentina*
xvii.	Kalihari	*Gloriosa superba*
xviii.	Timru	*Zanthoxylum Armatum*
xix.	Van Pyaj	*Urgenia indica*
xx.	Shankh Pushpi	*ConvolvulusAlsinoides*
xxi.	Manjith	*Rubica cordifolia*
xxii.	Balchari	*Amebia benthamii*
xxiii.	Thuner	*Taxux baccata*
xxiv.	Dhup	*Jurinea dolomiaea*
xxx.	Tagar	*Yalarians Jatamasi*

xxxi.	Cheura	*Angelica glauca*

C. Those species that are yet available in the wild but should be collected sustainably in a species wise quantity that is to be fixed by the District Level Committee.

i.	Pashanbhed	*Berginia ciliata*
ii.	Malkanghani	*Celastrus paniculatus*
iii.	Kari Patta	*Murraya koenighi*
iv.	Priyangu	*Callicarpa macrophylla*
v.	Nirgundi	*Vitex negundo*
vi.	Gandha Prasarni	*Paederia foetida*
vii.	Harar, Bahera, Aonla	*Triphala*
viii.	Satavar	*Asparagus*
ix.	Maror Phali	
x.	Patha	*Cissampelos pareira*
xiv	Ratti	*Abrus precatorius*
xv.	Amaltas	*Cassia fistula*
xvi.	Kapur kachri	*Hedychium spicatum*
xvii.	Tajpat	*Cinnamomum tamala*
xviii.	Bhutkeshi	*Tanacetum dolichophyllum*
xix.	Bhutkeshi	*Selinum tenuiflorum*
xx.	Ginjaru	*Stephania glabra*
xxi.	Sarpunkha	*Tephrosia purpurea*
xxii.	Lajvanti	*Mimosa pudica*
xxiii.	Nirpati/kedarpati	*Skimmia laureola*
xxiv.	Chitrak	*Plumbago zeylanicum*
xxv.	Indrayan	*Trichosanthes spp*
xxvi.	Patthar laung	*Didymocarpus Aromaticus*

D. Species that are found in forests but are abundant in other wastelands outside forests and can be removed in any quantity for the time being.

i.	Bhumiamla	*Phyllanthus niruri*
ii.	Neem	*Azadirachta indica*
iii.	Bala	*Sida spp.*
iv.	Atibala	*Abutilon indicum*
v.	Mungparni	*Phaseolus trilobus*
vi.	Shahatara	*Fumaria vaillantii*
vii.	Punarnava	*Boerhaavia diffusa*
viii.	Arand	*Ricinus communis*
ix.	Gokhru	*Tribulus terrestris*
x.	Bhringraj	*Eclipta Alba*
xi.	Apamarg	*Achyranthes Aspera*
xii.	Aakh	*Calatropis spp.*
xiii.	Dhatura	*Datura spp.*
xiv	Makoy	*Solanum nigrum*
xv.	Manspatri	
xvi.	Agya ghas	*Cymbopogon spp.*
xvii.	Pudina	*Mentha spp.*
xviii.	Kamal phul	
xix.	Gulab phul	
xx.	Gurhal phul	
xxi.	Tulsi	

E. Species that are removed in large amounts but take a long time to regenerate and should, therefore, be harvested on a rotational basis. These species are essential for maintaining the microclimate of forest areas.

i. Moss   ii. Lichens

The actual cycle of rotation will be proposed by the State Extraction Committee after an in depth study of the availability of these plants in the Forest Divisions of Uttaranchal and the provisions made in the respective Working Plans.

F. In the case of Herbal material/oils etc. that are brought into the state for purpose of trade from outside, it may suffice for the importers to obtain a Foreign Pass from the Conservator of Forests at the point of

327

entry and inform the HRDI for purposes of record. The transit within the state shall be given by the concerned DFOs on the basis of the foreign pass.

G. Kuth can be cultivated within the state only under a license from the Chief Wildlife Warden as per the provisions of Section 17 of the Wildlife Protection Act, 1972. Its trade is controlled by the CITES authority that gives permission only after the certificate of cultivation is produced. It maybe mentioned here that Kuth is listed in appendix I of CITES but gets transferred to appendix II if it is cultivated.

Registration of Farmers for cultivation of MAPs – In view of the constant fear of removal of herbal material from forests in the garb of cultivated material, it becomes compulsory that registration of farmers for cultivation if MAPs be entrusted to local DFOs of the Forest Department, even to the extent that if the DRDI also has any cultivation of MAPs done by farmers, it should be registered by the DFO Copies of the registration by DFOs should be given to HRDI and Nodal Officer of the Forest Department.

Transit- It should be the duty of DFOs to have a register maintained at Range level in which entries of cultivation shall be made beatwise showing the name of village, farmer, area of cultivation, species, likely time of harvesting approximate production etc and this information shall be updated at least quarterly. This register shall be kept on the lines of Plantation Journals, already maintained by the forest Department. Transit permit shall be issued by concerned Range Officer after due verification within 15 days of application submitted in prescribe form by the farmer. Consolidated return of all transit passes would be submitted by the Range Officer to his DFO and a consolidated account of transit shall be made available to HRDI by the CFs.

Sd/- S.Chandola
CWLW